न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या : 07/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. दयालराम पुत्र अमराराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम–मंगेरिया, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1. ढलाराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी–ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2. तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 19.06.2019

प्रार्थी दयालराम पुत्र श्री अमराराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी ढलाराम पुत्र श्री चेतनराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर के विरूद्ध नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 04.02.83 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 278 ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ को खारिज कर उक्त नामान्तरकरण में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 10 बीघा पुन: राज्य सरकार के खाते में दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मूल रुप से ग्राम मंगेरिया का निवासी है तथा सार्वजनिक सम्पतियों का देखभाल करने का दायित्व समझता है तथा जनहितार्थ कार्य कर समाज सेवा का काम करता है। ग्राम मंगेरिया की सरहद में खसरा नम्बर 820 रकबा 220 बीघा 10 बिस्वा वक्त बन्दोबस्त रकबा राज के रुप में दर्ज था जिसमें से जन उपयोगार्थ आवंटन भी किया गया। वर्तमान में उक्त खसरे का रकबा

69 बीघा 16 बिस्वा दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 820 में से बनावटी तौर से ढालाराम पुत्र श्री चेतनराम के नाम से आवंटन होना बताते हुए उक्त ढालाराम के नाम 10 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज जरिये नामान्तरकण संख्या 278 कर दी जिससे व्यथित होकर आलौच्य आवंटन आदेश दिनांक 11.12.1978 विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजात के विपरित होने, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन हेतु कोई आवेदन नहीं करने के बावजूद भी बिना आवेदन के मनमाने रुप से हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 278 मौजा मंगेरिया के जरिये राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज करने, उक्त आदेश दिनांक 11.12.1978 द्वारा प्रार्थी को यह आवंटन 10 वर्ष के लिए किया गया परन्तु हल्का पटवारी द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से नामान्तकरण संख्या 278 के जरिये अप्रार्थी को स्थाई आवंटी बताते उसके नाम भू-आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11.12.1978 बमुकाम मंगेरिया में अन्त्योदय परिवार को उप-जिलाधीश महोदय द्वारा आंवटन किये जाने पर नामान्तरकरण भरा गयायह अंकन करते हुए दर्ज कर देने, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केवल 10 वर्ष की अवधि हेतु आवंटन किया गया जबकि उप-जिलाधीश उक्त समिति का एक भाग थे इसलिए उप-जिलाधीश द्वारा अपने विवेक से कोई आवंटन आदेश पारित नहीं है उसके बावजूद भी आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 278 भरकर उसको वर्ष 1983 में नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा तस्दीक किया जाने, आवंटन आदेश दिनांक 11. 12.1978 केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए ही किया गया था उसके बावजूद उक्त भूमि अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कर देने, उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 278 की आड़ में आज भी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है जबकि आवंटन दिनांक 11.12.1978 एक निश्चित अवधि तक है जिसके बाबत राजस्व रेकर्ड नहीं बदला जा सकता उसके बावजूद भी विधि विरुद्ध तरीके से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने आपसी सांठ-गांठ कर अप्रार्थी को अनुचित लाभ देते हुए एवं राज्य सरकार एवं आम जनता को नुकसान कारित करते हुए अप्रार्थी के खातेदारी में भूमि दर्ज कर देने, 10 वर्ष की अवधि हेतु आवंटन भी गलत था क्योंकि तत्समय भी विवादग्रस्त भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा व काश्त था व आज भी है इसके अलावा अप्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है व आज भी नहीं होने, ऐसी परिस्थिति में उक्त आवंटन स्वत: ही काबिले निरस्त होने आदि आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थी को दिनांक 11.12.1978 किये गये आवंटन को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मंगेरिया में खसरा नम्बर 820 रकबा 220 बीघा 10 बिस्वा वक्त बन्दोबस्त रकबा राज के रुप में दर्ज था जिसमें से जन उपयोगार्थ आवंटन भी किया गया। वर्तमान में उक्त खसरे का रकबा 69 बीघा 16 बिस्वा दर्ज है। अप्रार्थी को उक्त भूमि 10 वर्ष के लिए आवंटन की गयी किन्तु नामान्तरकरण संख्या 278 में 10 वर्ष के आंवटन का कोई हवाला नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत की गयी है। उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारी कब व कैसे मिले तथा इस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया इसका भी हवाला नहीं है। इसके अलावा गिरदावरी प्रस्तुत की गयी न ही लगान की रसीदे प्रस्तुत की गयी है। जहां तक देरी से प्रकरण प्रस्तुत करने का प्रश्न है झूठ व धोखाघड़ी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है क्योंकि कि मेरे कब्जा भूमि पर ये हस्तक्षेप कर रहे है। सरकार भूमि का फर्जीवाड़ा हो तो जागरूक व्यक्ति भी उक्त नामान्तरकरण व आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजकर नामान्तरकरण संख्या 278 मौजा मंगेरिया तहसील भोपालगढ को खारिज कर उक्त नामान्तरकरण में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 10 बीघा पुन: राज्य सरकार के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र में नामान्तरकरण संख्या 278 को चुनौती दी गयी है या आवंटन आदेश को यह स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है जबकि नामान्तरकरण निरस्त हेतु अपील पेश करनी थी, रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तो आवंटन निरस्त हेतु पेश किया जाता है। प्रार्थी उक्त नामान्तरकरण संख्या 278 को खारिज करवाने हेतु लगभग 40 वर्षो पश्चात् आये है। प्रार्थी का प्रकरण में क्या हित है यह भी स्पष्ट नहीं है। भूमि मालिक द्वारा किसी प्रकार की आपति नहीं की गई है। मेरी गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार 10 वर्ष के पश्चात् मिले है। यदि उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं होता तो खातेदारी नहीं मिलती। प्रमाणित प्रति झूठी व गलत पेश की गयी है। 10 बीघा भूमि प्रार्थी को भी आवंटित हुई है। तरमीम का यदि विवाद है तो सक्षम न्यायालय से राहत ली जा सकती है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 278 मौजा मंगेरिया यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी व बहस सुनने व प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को आवंटन दिनांक 11.12.78 में हुआ था जिसके तहत तत्कालीन नियमानुसार 10 वर्ष तक गैर खातेदार के रूप में समस्त आवश्यक शर्तो की पालना के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रस्तुत किए जाने थे। तत्समय नामान्तरकरण में अप्रार्थी को खातेदार या गैर खातेदार के रूप में नामान्तरकरण किया गया, यह दो भिन्न भिन्न दस्तावेजों से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है तथापि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन गलत होने की दृष्टि में भी अप्रार्थीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह दायित्व राजस्व ऐजेन्सी का है। साथ ही उक्त प्रकरण में यह दृष्टव्य है कि क्या प्रार्थी को खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए थे अथवा नहीं, जो कि भूमिधारी तहसीलदार का जिम्मा है कि वह निरीक्षण करे व यदि खातेदारी के लिए आवश्यक शर्तो की पालना हो गयी है तो खातेदारी अधिकार प्रदान करे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवंटन खारिजी के लिए कार्यवाही करे। अत: प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर इस रेफरेन्स के आधार पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझते है तथापि तहसीलदार को निर्देशित किया जाता हैं कि वह यह अध्ययन करे कि:-

(i) क्या अप्रार्थीगण को आवंटन के पश्चात् गैर खातेदार दर्ज किया गया था या खातेदार

(ii) यदि गैर खातेदार दर्ज किया गया था तो खातेदारी अधिकार कब प्राप्त हुए।

(iii) यदि सीधे खातेदार दर्ज किया गया तो क्या यह उचित था। यदि नहीं, तो नियमानुसार क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

उक्त बिन्दुओं पर अध्ययन कर तहसीलदार भोपालगढ विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर